फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक

मितेश गौड़ बनाम सीमा गौड़

मुकदमा संख्या / वर्ष : 55 / 2022

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	31.5.22	प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.टी.ए. व 151 सी.पी.सी. श्री शमीमूल हक एड. द्वारा प्रस्तुत किया गया। रिपोर्ट सरिश्ते हो चुकी है दर्ज रजिस्टर हो अप्रार्थीगणों की तलबी होकर पत्रावली दिनांक 5.7.22 को पेश हो।	
	5.7.22	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी / प्रार्थी उप है। वकील पक्षकारान उप है। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक [dated] 6.9.22 को पेश	
	6/9/22	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी / प्रार्थी उप है। वकील पक्षकारान उप है। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक [dated] 21/10/22 को पेश अप्रार्थीगण को रजि. AD तलबी हेतु आदेश दिया गया।	
	21/10/22	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी / प्रार्थी उप है। वकील पक्षकारान उप है। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक [dated] 8/12/22 को पेश श्रीमान जिला कलक्टर महो. जयपुर के आदेशानुसार मूल पत्रावली नव सृजित न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर को प्रेषित की / जाती है।	
	8/12/22	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. राजकीय कार्यवश दौरे पर पधारे हुए है। अत: पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. [dated] 20/2/23 को पेश हो।	
	20.2.23	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. राजकीय कार्यवश दौरे पर पधारे हुए है। अत: पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. [dated] 27/2/23 को पेश हो।	
	27/2/23	पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषक संघ ने कार्य स्थागित रखा है। अत: पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. [dated] 5/4/23 को पेश हो।	

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	8/5/23	पत्रावली पेश हुई। सरकार पैरोकार उपस्थित। प्रार्थी एवं उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति के कारण मूल वाद आदेश 9 नियम 3 CPC में खारिज किया जा चुका है। अतः पूर्ववर्ती पत्र को भी आदेश 9 नियम 3 C.P.C. में खारिज किया जाता है। पत्रावली का फल सुमार होकर नक्शा से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

वाद पत्र एडमिट करने से पूर्व जाँच बिन्दू

1- क्या क्षेत्राधिकार का हैं? हाँ

2- क्या पर्याप्त मुद्रांक हैं? हाँ

3- क्या अंकित तथ्य कार्यवाही के हैतुक को प्रकट करते हैं? हाँ

4- क्या मियाद बाहर हैं? नहीं

5- क्या वाद से संबधित् सभी पक्षकार बनाया गया हैं तथा सही रूप मे अंकित किया गया हैं? हाँ

6- क्या वाद पत्र मे निरर्थक बाते लिखी हैं या अन्यथा प्रपंची हैं? नहीं

7- क्या सी0पी0सी0 के आदेश 7 का पालन किया गया हैं, हाँ

8- क्या दावे के साथ नवीनतम जमाबंदी की प्रमाणीत प्रति संलग्न हैं? हाँ

9- क्या इस आशय का शपथ पत्र संलग्न हैं कि प्रार्थी जिस जमाबंदी के आधार पर यह दावा प्रस्तुत कर रहा हैं वाद में भूमि अथवा उसका भाग का बैचान अन्य व्यक्ति को नही किया गया हैं? हाँ

10- क्या बंटवारे के दावे मे समस्त सह खातेदारो को पक्षकार बनाया लिया गया हैं? हाँ

11- क्या राज्य सरकार अथवा जिला कलेक्टर पार्टी हैं? हाँ

12- क्या दावे के प्रत्येक पेज पर प्रार्थी के हस्ताक्षर/अंगुठा निशानी हैं? हाँ

13- क्या राजस्व भूमि शहर क्षेत्र की हैं? नहीं

14- क्या वाद पंजिकृत विलेख को निरस्त कराने बाबत हैं? नहीं

15- क्या भूमि विक्रय अनुबन्ध (Agreement to sale) के जरिये हुआ हैं? नहीं

16- क्या वाद ऐसी भूमि से संबधित हैं जिसका भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90 बी के अन्तर्गत संपरिवर्तन किया गया हैं? अंकित नहीं है।

17- क्या दर्ज किया जाना उचित हैं? हाँ

18- केवियट प्रार्थना पत्र दर्ज नही हैं? नहीं

हस्ताक्षर

(पेशकार अथवा अहलमद)